न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 132 / 2021

महेश कुमार दूत पुत्र रामेश्वर लाल, रूघावाली जोहडी के पास, ग्रा0पो0 कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 24.08.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 132 / 2021 पर दिनांक 28.07.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2113–14 दिनांक 28.07.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 2021 / 257 दिनांक 16.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन मे जो सूचना चाही है, उक्त सूचना के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / आर0टी0आई0 / 2021 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा आवेदनकर्ता को अवगत करवा दिया गया है कि चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट अंकन नही होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। सूचना के संदर्भ मे पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें ताकि समय पर सूचना उपलब्ध कराई जा सके। आवेदनकर्ता को सूचना नही देने का कोई कारण नही बनता है। आवेदनकर्ता सूचना से संबंधित स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने पर इस कार्यालय द्वारा समयावधि मे ही सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0 / 2021 / 257 दिनांक 16.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन मे जो सूचना चाही है, उक्त सूचना के क्रम मे उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व / आर0टी0आई0 / 2021 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा आवेदनकर्ता को अवगत करवा दिया गया है कि चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट अंकन नही होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। सूचना के संदर्भ मे पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें ताकि समय पर सूचना उपलब्ध कराई जा सके। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अतः अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को नोटिस जारी कर स्पष्ट सूचना का उल्लेख करने हेतु लिखा जावे। आवेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थी को नियमानुसार निर्धारित अवधि मे सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर, झुंझुनूं
24/8/21